राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय : भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

Frequently Asked Quarries

क्र.सं.	जिज्ञासा		समाधान
प्रश्न–1	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के बारे में संक्षिप्त विवरण बतायें।	उत्तर	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में कृषकों, सहकारी समितिंयों, व्यापारियों, सहकारी संस्थाओं, सरकारी प्रतिष्ठानों के हितार्थ उनके कृषि उत्पाद, बीज, उर्वरक, रासायनिक खाद, कृषि यंत्र एवं अधिसूचित जिन्सों का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण की सेवा प्रदान करना है। उपरोक्त सेवा के साथ–साथ राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम द्वारा निम्न सेवाएं भी प्रदान की जाती है :– ➢ किसानों को उनकी जमा फसल पर 75 प्रतिशत रहन ऋण उपलब्ध कराना। ➢ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /सहकारी संस्थानों को रियायती दरों पर भण्डारण की सेवाएं उपलब्ध करवाना। ➢ जमाकर्त्ताओं के अनुरोध पर हैण्डलिंग एवं परिवहन की सेवाएं उपलब्ध करवाना।
प्रश्न–2	नागरिको/किसानों द्वारा इस निगम की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ? तथा इसके लिये कौन–कौन से दस्तावेजो की आवश्यकता होती है व इन्हें प्रस्तुत करने कि प्रक्रिया से अवगत करायें।	उत्तर	निगम के भण्डारगृहों पर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपनी कृषि उत्पाद, बीज, उर्वरक रासायनिक खाद, कृषि यंत्र एवं अन्य अधिसूचित जिन्सें जैसे कि कागज, सीमेन्ट, कॉपर लोहा, मुरमुरे, बाल पोषाहार इत्यादि का वैज्ञानिक भण्डारण करवाने की सेवाएं निगम से प्राप्त कर सकता है। इसके लिय सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था निगम के राज्य में स्थित विभिन्न भण्डारगृहों में से किसी भी भण्डारगृह पर सम्पर्क कर माल जमा का प्रार्थना–पत्र भर कर प्रस्तुत कर सकता है

			जिसके आधार पर भण्डार प्रबन्धक द्वारा माल जमा कर उसकी वेयरहाउस रसीद सम्बन्धित जमाकर्त्ता को जारी की जाती है। जमाकर्त्ता द्वारा भण्डारगृह पर जमा कराये गये अपने माल की आवश्यकतानुसार निकासी, निकासी फार्म भर कर ले सकता है।
प्रश्न–3	निगम के भण्डारगृहों पर कृषकों द्वारा जमा करायें गये स्टॉक पर संग्रहण शुल्क में छूट के क्या प्रावघान है ?	उत्तर	निगम प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार दिनांक 01.10.2001 से भण्डारगृहों पर कृषकों द्वारा जमा कराये गये स्टॉक पर संग्रहण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :– **1. समस्त कृषको को 60 प्रतिशत** **2. समस्त अनुसूचित जाति/ जनजाति कृषको को 70 प्रतिशत** संग्रहण शुल्क में उक्त छूट सिर्फ वास्तविक कास्तकारों को ही देय है जो कि निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित हल्का पटवारी से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
प्रश्न–4	इस निगम द्वारा कितने भण्डारगृहों का संचालन किया जाता है? तथा निगम की कुल भण्डारण क्षमता कितनी है ?	उत्तर	राज्य के 31 जिलों में वर्तमान में 89 स्थानों पर निगम के भण्डारगृह कार्यरत है जिनकी औसत भण्डारण क्षमता 8.39 लाख मैं.टन है। निगम के भण्डारगृहों पर संग्रहित कृषि उत्पाद एवं अन्य जिन्सों के भण्डारण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है, जिसमें से किसानों को दी जा रही छूट अन्य राज्य भण्डारण निगमों एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम की तुलना में सर्वाधिक है :– **1. समस्त सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत** **1. समस्त कृषको को समस्त अनुसूचित जाति 60 प्रतिशत** **2. जनजाति कृषको को 70 प्रतिशत**

प्रश्न–5	रहन ऋण योजना के बारे में जानकारी देवें।	उत्तर	निगम द्वारा किसानों की कृषि उपज को निगम के भण्डारगृहों में जमा कराकर उसके मूल्य की 75 प्रतिशत राशि रहन ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की योजना लागू कर रखी है जिसके अन्तर्गत खाद्यान्न में गेहूँ, तिलहन में सरसों, सोयाबीन, तारामीरा, अलसी, तिल, मसालों में धनिया, जीरा, मेथी तथा ग्वार एवं ईसबगोल किसानों द्वारा जमा कराने पर वे रहन ऋण योजना का लाभ उठा सकेंगें। साथ ही इस रहन ऋण योजना के अन्तर्गत किसानों को और अधिक राहत दिये जाने के उद्देश्य से रहन ऋण की जो पूर्व में निर्धारित सामान्य अवधि 90 दिन थी, उसे 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन और उसके बाद विशेष परिस्थितियों में दण्डात्मक ब्याज पर 270 दिन किया गया है। इस योजना की ओर किसानों को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से देय ऋण पर 16 प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर 12 प्रतिशत ब्याज की दर लागू की गई है।